

जीसियो नियम फार्मूला तलाक शुदा पति पत्नी

1. यदि पति पत्नी के बीच में तलाक होता है । तो दोनो को तलाक । कोर्ट के व्दारा मिलेगा ।
2. 21 वर्ष उम्र से कम का लडका । पिता के पास रहेगा ।
3. 21 वर्ष उम्र से कम की कुंवारी लडकी । माँ के पास रहेगी ।

पति के अवैध प्रेम संबध । पिता को दंड

1. यदि पति के । अवैध प्रेम संबधों के कारण । पति पत्नी में तलाक होता है । तो पति के उपर 21 वर्ष उम्र से कम के लडके को । रखने का विस्वास नही किया जायेगा । 21 वर्ष उम्र से कम का लडका । माँ के पास रहेगा । य सरकारी बाल संरक्षण ग्रह में रहेगा ।
2. यदि 21 वर्ष उम्र से कम का लडका । सरकारी बाल संरक्षण ग्रह में रहता है । तो पिता को 1 लाख रू दन्ड के रूप में । भारत सरकार में जमा कराना होगा ।

पत्नी के अवैध प्रेम संबध । माँ को दंड

1. यदि पत्नी के । अवैध प्रेम संबधों के कारण । पति पत्नी में तलाक होता है । तो पत्नी के उपर 21 वर्ष उम्र से कम की कुंवारी लडकी को । रखने का विस्वास नही किया जायेगा । 21 वर्ष उम्र से कम की कुंवारी लडकी । पिता के पास रहेगी । य सरकारी बाल संरक्षण ग्रह में रहेगी ।
2. यदि 21 वर्ष उम्र से कम की कुंवारी लडकी । सरकारी बाल संरक्षण ग्रह में रहती है । तो माँ को 1 लाख रू दन्ड के रूप में । भारत सरकार में जमा कराना होगा ।

पति पत्नी दोनो का बाहरी प्रेम प्रसंग न होने पर

1. यदि दोनो पति पत्नी का । बाहरी प्रेम प्रसंग नही है । सिर्फ गैर समझी के कारण ।
2. य दोनो की विचारधारा । अलग अलग होने के कारण । य आपस में । सामांजस्य न बिठा पाने के कारण ।
3. य परिवारिक । कलह के कारण । य अन्य किसी कारण से । य गैर समझी में ।
4. पति पत्नी दोनो । परिवार । समाज । और बच्चों भविस्व्य की चिन्ता । किए बगैर । दोनो एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं ।
5. तो दोनो को तलाक कोर्ट के व्दारा मिलेगा ।
6. 21 वर्ष उम्र से कम का लडका । पिता के पास रहेगा ।
7. 21 वर्ष उम्र से कम की कुंवारी लडकी । माँ के पास रहेगी ।

पिता को दंड

1. यदि 21 वर्ष उम्र से कम लडके को । पिता । सरकारी बाल संरक्षण ग्रह में रखना चाहता है । तो पिता को । 1 लाख रू दन्ड के रूप में । भारत सरकार में जमा कराना होगा ।

माँ को दंड

1. यदि वर्ष उम्र से कम कुंवारी लडकी को । माँ । सरकारी बाल संरक्षण ग्रह मे रखना चाहती है 21 । तो माँ को । लाख रू दन्ड के रूप मे । 1 भारत सरकार मे जमा कराना होगा ।

माता पिता दोनो को दंड

1. यदि पति पत्नी दोनो । बच्चों को सरकारी बाल संरक्षण ग्रह मे रखना चाहते है । तब दोनो । पती पत्नी को 1 1 लाख रू दन्ड के रूप मे भारत सरकार मे जमा कराना होगा ।
2. दोनो पति पत्नी किसी भी कार्ड मे । धन उपलब्ध न होने पर । 1 वर्ष के अन्दर दन्ड रू । भारत सरकार मे जमा कराना होगा ।

भारत सरकार की जिम्मेदारी

1. और बच्चों की जिम्मेदारी । भारत सरकार की होगी ।
2. बच्चों के । 21 वर्ष पूरे होने पर । सारी सरकारी सुविधायें मिलेगी ।
3. बच्चों को चाहें तो । रिस्तेदार ले सकते है ।
4. भारत सरकार । रिस्तेदारों को । बच्चों का खर्चा नही देगी ।

दोनो अलग अलग जिन्दगी

1. और पति पत्नी दोनो । अलग अलग जिन्दगी जी सकते है ।
2. दोनो पति पत्नी दोनो के सभी कार्डों मे धन पूर्ववत रहेगा ।
3. दोनो पति पत्नी दोनो के कार्डों मे वाहन । पूर्ववत नियमित रहेंगे ।

जय विश्व अग्रणी भारत की